न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 09/2020

उम्मेद सिंह पुत्र शिवलाल जाति जाट निवासी ग्राम गोपालगढ हाल आबाद 25/9 जे0 महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा

प्रार्थी

बनाम

1. फूलकौर पत्नि युगवीर सिंह
2. रविराज पुत्र युगवीर सिंह (मृत्तक)
   2/1 मंजू पत्नि रविराज
   2/2 शैफाली पुत्री रविराज
   2/3 सोनाली पुत्री रविराज
   2/4 ज्योत्सन पुत्र रविराज जाति जाट निवासी ग्राम गोपालगढ तहसील पहाडी
3. राजीव कुमार पुत्र युगवीर सिंह जाति जाट
4. रामवती पत्नि रामदयाल
5. विजयश्री पत्नि हीरालाल कटारा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गोपालगढ
6. खातूनी पत्नि खुर्शीद जाति मेव निवासी ग्राम पथराली तहसील पहाडी
7. सरोज पत्नि देवीनन्दन जाति स्वर्णकार
8. खुर्शीद पुत्र घसीटा जाति तेली
9. लच्छो पत्नि वलराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम गोपालगढ तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा0दी0

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील प्रार्थी
श्री सतीश शर्मा वकील अप्रार्थीगण

दिनांक :– 23/03/2022

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा0दी0 के तहत इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थीगण संख्या 1,2,3 ने एक दिवानी दावा मुकदमा नं0 279/1994 उनवानी फूलकौर वगै0 बनाम शिवलाल आदि न्यायालय सहायक कलक्टर कामाँ के यहाँ पेश किया था जिसमें आराजी

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 633/0.32, 634/0.11 हैक्टर बांके ग्राम गोपालगढ तहसील पहाडी के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0 एक्ट शिवलाल, फत्तेसिंह, हरिसिंह, मानसिंह, पिसरान तीर्थराम के विरूद्ध खातेदारी का अनुतोष चाहा था और यह दावा न्यायालय सहायक कलक्टर कामाँ द्वारा एक पक्षीय दिनांक 05/12/1996 को अप्रार्थीगण संख्या 1,2,3 के पक्ष में डिक्री कर दिया गया तथा इस डिक्री की पालना में दाखिल खारिज नम्बर 590 से अप्रार्थी संख्या 1,2,3 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हो गये उपरोक्त आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण संख्या 1,2,3 के नाम इन्द्राज हो जाने के कारण उक्त आराजी को अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 9 को बेचान कर दिया और उक्त बयनामा के आधार पर उनके नाम इन्द्राज हो गया । शिवलाल, फत्तेसिह,हरिसिंह, मानसिंह पिसरान तीर्थराम ने प्रार्थी को वसीयत की थी इसलिए प्रार्थी ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय, भरतपुर के यहाँ डिक्री का इल्म होने पर अपील की थी जिसका अपील संख्या 102/2010 है । प्रार्थी की अपील न्यायालय द्वारा दिनांक 15/03/2013 को स्वीकार की जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर कामाँ के निर्णय व डिक्री 05/12/1996 को निरस्त कर दिया गया और दावा को पुनः सुनवाई के लिये प्रतिप्रेषित किया। न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय, भरतपुर के निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1,2,3 ने न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील पेश की। जो दिनांक 17/04/2013 को एडमीशन की स्टेज पर खारिज हो गई। इस प्रकार न्यायालय सहायक कलक्टर कामाँ की डिक्री/निर्णय दिनांक 05/12/1996 निरस्त हो गई है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण का नाम बन्दस्तूर चला आ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 633/0.32, 364/0.11 हैक्टर बांके ग्राम गोपालगढ तहसील पहाडी के सम्बन्ध में डिक्री दिनांक 05/12/1996 की पालना में जो इन्द्राज अप्रार्थीगण के नाम हो रहे है उसे कलमजन किया जाकर डिक्री के आधार पर हुये इन्द्राज से पूर्व के इन्द्राज की स्थित राजस्व रिकॉर्ड में बहाल की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया अप्रार्थीगण जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये। उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय दिनांक 16/11/2016 को इस न्यायालय द्वारा किया गया कि वसीयत की जाँच होने तक उक्त प्रार्थना पत्र धारा 144 जा0दी0 की कार्यवाही लम्बित रखी जाती है। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण ने न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय भरतपुर के यहाँ अपील दायर की। न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय, ने अपने निर्णय दिनांक 02/05/2017 से मामला अन्तिम रूप से निर्णित नहीं

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

हुआ है। साथ ही अपीलार्थी मूल दावा में पक्षकार नहीं है। अतः वकील प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय अधिक विश्वसनीय प्रकट होते है। वकील प्रत्यर्थी के बहस से सहमत होते है अपील अपीलार्थी खारिज की गई।

न्यायालय श्रीमान निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24/01/2020 द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16/11/2016 अपास्त करते हुये तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे इस आदेश से प्रभावित हुये बिना विधि के अनुरूप इस आदेश की प्राप्ति से एक माह की अवधि में निगरानीकर्त्ता के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा0दी0 पर पुनः उभय पक्षों को सुनकर विधि सम्मत आदेश पारित करें।

उक्त आदेश की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। पक्षकारान मय वकील न्यायालय में उपस्थित आये।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया है। दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने कथन किया है कि मुकदमा नं0 279/1994 उनवानी फूलकौर वगै0 बनाम शिवलाल आदि हमारे द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर कामाँ के यहाँ पेश किया था जिसमें आराजी खसरा नम्बर 633/0.32, 634/0.11 हैक्टर बांके ग्राम गोपालगढ तहसील पहाडी के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0 एक्ट शिवलाल, फत्तेसिंह, हरिसिंह, मानसिंह, पिसरान तीर्थराम के विरूद्ध खातेदारी का अनुतोष चाहा था और यह दावा न्यायालय सहायक कलक्टर कामाँ द्वारा सन् 1996 में हमारे पक्ष में निर्णित किया गया था। जिसकी मूल दावे में पक्षकार के अतिरिक्त अपितु प्रार्थी द्वारा लगभग 14 वर्ष पश्चात 2010 में न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय के समक्ष अपील की गई थी। जिसको सन् 2013 में स्वीकार किया गया था। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल होने के पश्चात भी काफी देरी से अपील प्रस्तुत की गई थी। प्रार्थी मूल दावे में कोई पक्षकार नहीं था। प्रार्थी को पत्रावली रिमाण्ड के दौरान दावे में पक्षकार बनाया गया है। सन् 1996 में प्रार्थी न तो मूल दावे में पक्षकार था ना ही राजस्व रिकार्ड पर था। अपितु प्रार्थी को वसीयत के बिन्दु पर दावे में पक्षकार बनाया गया है। वसीयत न तो रजिस्ट्रर्ड है और न ही वसीयत कर्ता को वसीयत करने का अधिकार था। वसीयत की सत्यता की जाँच मूल दावें मे विचाराधीन है। प्रार्थी धारा 144 जा0दी0 के सिद्धान्त को पूर्ण नहीं करता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा0दी0 खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस वकील फरीकेन पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा सन्

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

1996 से पूर्व के राजस्व रिकार्ड की बहाली चाही गई है। धारा 144 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन के लिए तीन आवश्यक शर्त सन्तुष्टि कारक होना अपेक्षित है। प्रथम शर्त यह है कि चाहा गया प्रत्यावर्तन किसी डिक्री या आदेश के संबंध में होना चाहिए। द्वितीय शर्त यह है कि प्रत्यावर्तन का आवेदन करने वाला पक्षकार उलटी गयी डिक्री या आदेश के अधीन लाभ प्राप्त करने का हकदार होना चाहिए। एवं तृतीय शर्त यह है कि डिक्री या आदेश को उलटने या विभेदीकृत किये जाने के उचित रूप से आनुषंगिक होना चाहिए।

परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी मूल दावे में कोई पक्षकार नहीं था। प्रार्थी को पत्रावली रिमाण्ड के दौरान दावे में पक्षकार बनाया गया है। सन् 1996 में प्रार्थी न तो मूल दावे में पक्षकार था ना ही राजस्व रिकार्ड पर था। अपितु प्रार्थी को वसीयत के बिन्दु पर दावे में पक्षकार बनाया गया है। वसीयत न तो रजिस्ट्रर्ड है और न ही वसीयत कर्ता को वसीयत करने का अधिकार था। वसीयत की सत्यता की जाँच मूल दावें मे विचाराधीन है। मूल दावे के मुख्य प्रतिवादी फौत हो चुके है। अप्रार्थीगण संख्या 1,2,3 ने भूमि का बेचान भी किया जा चुका है। अन्य अप्रार्थीगण सद्भावी केता है। जिन्होनें रजिस्ट्रर्ड बयनामा के आधार पर भूमि का कय किया है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी धारा 144 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन के लिए द्वितीय शर्त ''प्रत्यावर्तन का आवेदन करने वाला पक्षकार उलटी गयी डिक्री या आदेश के अधीन लाभ प्राप्त करने का हकदार होना चाहिए'' की पूर्ति नहीं करता है। क्योंकि सन् 1996 में प्रार्थी न तो मूल दावे में पक्षकार था ना ही राजस्व रिकार्ड पर था। प्रत्यावर्तन का आवेदन मूल प्रतिवादी कर सकते थे। प्रार्थी तो वसीयत के बिन्दु पर दावे में पक्षकार बनाया गया है। जिस वसीयत की सत्यता की जाँच मूल दावें मे विचाराधीन है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा0 दी0 खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा0 दी0 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23/03/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner